न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- एल0आर0/61 /2018/भीलवाड़ा (2018/00061)

1. विमल कुमार पुत्र गणपतलाल जाति महाजन निवासी ग्राम नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 23.05.2018 प्रकरण संख्या 05/2017.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः-29.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की माताजी श्रीमती सोहनीदेवी के खातेदारी आराजी खसरा सं0 3441/1 व 3664 का 1/5 हिस्से को श्रीमती सोहनीदेवी ने उनके जीवनकाल में दिनांक 14.05.2010 को अपीलांट को वसीयत कर दिया एंव सोहनीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2014 को होने पर प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में वसीयत से विरासत अपीलांट के पक्ष में निहित होने से नामान्तरकरण खोले जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 05.08.2016 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए अपीलांट को निर्देशित किया कि वह वसीयत की वैद्यता को सक्षम न्यायालय से प्रमाणित करवाये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील विद्धान जिला कलेक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार करते हुए तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखे

जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है । विद्धान जिला कलक्टर महोदय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिये एंव समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एंव बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जोकि विधि विपरित होने से निरस्तनीय था जिसे जिला कलक्टर महोदय ने बहाल रखे जाने का आदेश पारित करने में भूल की है । विद्धान जिला कलक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार द्वारा निर्णय में पूर्णतया प्रक्रिया एंव विधि विपरीत तौर महज यह वर्णित किया कि वसीयतनामे के गवाह दीपक कर्नावट एंव हितेश जैन के हस्ताक्षर है लेकिन गवाहों की वल्दियत एंव पता अंकित नहीं है जबकि ऐसा आवश्यक नहीं होता ऐसी स्थिति में उस गवाह को जिसके द्वारा साख बाबत् हस्ताक्षर किये हैं संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी स्वंय प्रार्थी की होती है यदि इस बाबत् निर्देश दिये जाते तो जांच कार्यवाही के दौरान संबंधित गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिये जाते लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही एंव प्रक्रिया अपनाई ही नही गई । वसीयत की वैद्यता बाबत् जांच तहसीलदार के द्वारा ही की जानी थी राजस्थान में अचल सम्पत्ति के संबंध में प्रोबेट प्राप्त करने के संबंध में कोई प्राबधान नहीं है एंव वसीयत पंजीकृत होना भी किसी प्रकार आवश्यक नहीं है इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की गई है जोकि निरस्त किये जाने योग्य है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्था न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3- अपीलांट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए कथन किया गया अपीलार्थी की स्वर्गीय माता श्रीमती सोहनीदेवी के नाम खातेदारी से ग्राम ईरास में आ0न0 3441 एंव 3464 दर्ज है इसमें से 1/5 हिस्से की वसीयत मुझ अपीलांट के नाम पर दिनांक 14.05.2010 को कर दी गई इसके बाद मेरी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2014 को गया । मुझ अपीलांट के द्वारा उक्त अपंजीकृत वसीयत के आधार पर मेरी स्वर्गीय मा के 1/5 हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाडा के न्यायालय में आवेदन किया जिसे गवाह के पूर्ण पता एंव वल्दीयत के अभाव में तथा वसीयत प्रमाणित नहीं होने के आधार पर मुझ अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील विद्धान जिला कलेक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार करते हुए तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः अपील को स्वीकार करने की गुजारिश कर अपीलांट के माताजी की आराजी अपीलांट के नाम दर्ज फरमाने का आदेश चाहा है ।

4- अपीलांट अभिभाषक ने बहस का मुख्य तर्क यह दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भीलवाडा के द्वारा वैद्यता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई एव न ही अपीलार्थी को इस संबंध में कोई सूचना ही दी गइ मुझ अपीलांट के द्वारा वसीयतनाम के गवाह श्री हितेश पिता नोरतमल जैन निवासी आसीन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो न्याय के सहज एंव प्राकृति सिद्धान्तों एंव रेकार्ड के विपरित होने से अपास्त फरमाया जावे एंव अन्य दादरसी जो प्रार्थी के हक में प्रदान करना उचित समझे प्रदान करने का आदेश पारित किया जावे ।

5- विद्धान अपीलांट अभिभाषक बहस के अन्त में ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1.RBT 1998 Page 438- वसीयत को एक साधारण पेपर पर निष्पादित किया जा सकता है और वह अपंजीकृत हो सकता है ।

2-RBT 1997 Page 308- राजस्थान राज्य में वसीयत का पंजीयन अनिवार्य नहीं है ।

3-RRD 1986 Page 135- राजस्थान राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत का प्रोबेट कराना आवश्यक नहीं है ।

6- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा जवाब बहस में कथन किया गया दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत है । अपीलांट द्वारा तथाकथित वसीयत अपंजीकृत है । वसीयत की वैद्यता का अधिकार सिविल न्यायालय का है ना कि राजस्व न्यायालय को । अपीलांट सिविल न्यायालय से वसीयत को प्रोबेट कराये बिना वसीयता के आधार पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । तहसीलदार भीलवाडा ने विधिसम्मत रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र तथा विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपील खारिज की है जिसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अत अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एंव दृष्टांतों का सूक्ष्मता से मनन करते हुए सहित अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट ने वसीयत के आधार पर मृतक श्रीमती सोहनीदेवी की आराजियात का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष दिनांक 01.10.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयत दिनांक 14.05.2010 का अवलोकन किया गया उक्त वसीयत अपंजीकृत होकर फोटोप्रति है जो साक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नहीं है उक्त वसीयत में गवाह कौन थे तथा उनकी वल्दियत भी अंकित नहीं है तथा ना ही वसीयत किसे द्वारा लिखी गई इसका भी अंकन नहीं है हम रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि वसीयत की वैद्यता का अधिकार सिविल न्यायालय का है ना कि राजस्व न्यायालय को। अपीलांट सिविल न्यायालय से वसीयत को प्रोबेट कराये बिना वसीयता के आधार पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । जहां तक विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

दृष्टांत का प्रश्न है हमने माननीय न्यायालयों के उक्त निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया । माननीय न्यायालय ने उक्त सिद्धान्त घोषणात्मक वाद के प्रकरणों में पारित किया है जहां विचारण न्यायालय में साक्ष्यों एंव गवाहों की विस्तृत विवेचना होती है किन्तु हस्तगत प्रकरण नामान्तरकरण का है जो एक संक्षिप्त एंव फिसकल प्रक्रिया का है अतः माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत यह चस्पा नहीं होते । हम अधीनस्थ न्यायालयों के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि गवाहों की वल्दियत व पता अंकित नही के अभाव में वसीयत दिनांक 14.5.2010 की वैद्यता जांच किया जाना संभव नहीं है एंव अपील के माध्यम से किसी का हक हिस्सा निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि नामान्तरकरण एक संक्षिप्त विचारण वाली फिस्कल प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता है अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 61/2018 (2018/00061) बउनवानी विमल कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार भीलवाडा को खारिज किया जाकर विद्धान कलक्टर भीलवाडा भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 05/2017 विमल कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.16 11:15:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: